न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/1658/2001/भरतपुर

1– जियालाल
2– जवाहर सिंह
3– किशनसिंह
4– बदनसिंह
5– सतीश
पुत्रान नवलसिंह समथ्त जाति जाटव निवासी सूरजपोल, गेट, भरतपुर।
6– चन्द्रवती पत्नि बाबू जाति जाटव निवासी नगला भरतपुर तहसील कीरावली, जिला आगरा।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– अगुरी उर्फ नहेलिया पत्नि स्व0 लटूर
2– तोताराम पुत्र लटूर
निवासी बाधाई तहसील व जिला भरतपुर।
3– भूरी पुत्री लटूर पत्नि भगवानदास
निवासी महुअर तहसील किरावली जिला आगरा।
4– शीला पुत्री लटूर पत्नि रविराम
निवासी राअवा तहसील किरावली जिला आगरा।
5– गीता पुत्री लटूर पत्नि राजू निवासी ई ब्लॉंक मगोलपुरी
6– श्यामवती पुत्री लटूर पत्नि इन्द्रजीत निवासी सांता तहसील किरावली, जिला आगरा।
7– उदै्या पुत्र अगना
8– मनीया पुत्र अंगना
निवासी बाधाई तहसील व जिला भरतपुर।
9– कलेवा पुत्र सुमेरा
10– रामबाबू पुत्र सुमेरा
11– राजू पुत्र रामजीलाल
12– बडला पुत्र रामजीलाल
13– बैनीराम
14– खैमीराम
पुत्रान मंगली जाति जाटव निवासी बाधाई, तहसील व जिला भरतपुर।
15– होतीलाल पुत्र तुलाराम

जाति जाटव निवासी ग्राम बाधाई तहसील व जिला भरतपुर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री जे0के0 पंत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 16 की ओर से।

––

निर्णय

दिनांक 08–01–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 241/2000 में पारित किए गए निर्णय 02–03–2001 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण सामन्ती व चन्द्रवती ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत् विरूद्ध प्रतिवादीगण लटूर वगैरह के पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 लटूर ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया व प्रतिवादी सं0 2 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 3 से 9

शोभनार्थ प्रतिवादी है, उन्हें सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया तथा उनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–06–2000 द्वारा वाद इस प्रकार डिक्री किया कि वादीगण विवादित आराजी वणि्रत मद सं0 1 अर्जी दावा की बहिस्सा बराबर की खातेदार व काश्तकार व काबिज आराजी घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम हो रहे राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज कलमजन किए जाकर खातेदारी के इनद्राज वादिनीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किए जावें। नामान्तरकरण सं0 114 दिनांक 22–01–73 एवं बयनामा जो प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 के हक में दिनांक 12–05–97 को करवाया है, वे नल एण्ड वोईड होने के कारण हकूक खातेदारी वादिनीगण प्रभावहीन घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादिनीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 02–03–2001 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया वे पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निमयानुसार निर्णय प्रदान करें। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी सं0 2 मनिया पर तामील हो चुकी थी परन्तु वह न्यायालय के समक्ष उप0 नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने एकतरफा डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। उनका यह भी तर्क था कि अगर उसके विरूद्ध एकतरफा डिक्री पारित की गई, उस पर उसे एतराज था तो उसे प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 पेश करना चाहिए था किन्तु उसने पेश नहीं किया, ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर तामील के प्रश्न को उठाने का अधिकार नहीं था एवं राजस्व अपील प्राधिकारी तामील की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष अंकित कर सकते थे किन्तु उन्होंने तामील की वैधता के संबंध में जाकर सुनवाई का अवसर देने का आधार बताते हुए अपील को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूल की। उनका यह भी तर्क था कि उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब लटूर को गोद ही नहीं लिया गया व न ही कोई पंजीकृत गोदनामा पेश किया तो फिर यह निष्कर्ष अंकित करना कि लटूर का 1/3 हिस्सा बनता है और मनीया को जो विक्रय किया गया वह 1/3 हिस्से से कम है, त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि लटूर ने जो नामान्तरकरण स्वीकार करवाया, वह बिना वादीगण को सूचना व नोटिस दिए स्वीकार करवाया गया, ऐसी स्थिति में लटूर को उक्त नामान्तरकरण से कोई हक प्राप्त नहीं होते। जब लटूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते तो उससे क्रेता प्रतिवादी सं0 2 मनीया को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा पेश की गई अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं थी। अपने तर्को के समर्थन में 2018 आर0आर0टी0 वोलि0 2 पेज 976, 2010 आर0बी0जे0 एस0सी0 पेज

281, ए0आई0आर0 1983 एस0सी0 पेज 114 ''डी'' के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। अन्त में उन्होंने द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि रामचंद व बधई दो भाई थे, रामचंद के कोई पुत्र नहीं था। सामन्ती व चेली उसकी दो पुत्रियां थी। बाद में चेली भी फौत हो गई। चन्द्रवती, चमेली की पुत्रवधु है। रामचन्द्र के पुत्र नहीं होने के कारण रामचन्द्र ने अपने भाईग बधई के पुत्र लटूर को गोद ले लिया, ऐसी स्थिति में लटूर, रामचन्द्र का दत्तक पुत्र है। रामचन्द्र 1972 में फौत होने पर दिनांक 27–01–73 को नामान्तरकरण सं0 114 के द्वारा रामचन्द्र के स्थान पर उसके दत्तक पुत्र लटूर के नाम समस्त आराजी दर्ज की गई। दावा दायरी से पूर्व ही लटूर ने मनिया प्रत्यर्थी सं0 2 को खसरा नं0 657 व 695 का बयनामा दिनांक 12–05–97 को कर दिया अर्थात उक्त आराजी केता ने रेकार्डेड खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई। उनका यह भी कथन था कि विचारण न्यायालय द्वारा जो सम्मन जारी किए गए, उसमें यह अंकित नहीं किया गया कि किस तारीख को न्यायालय में उपस्थित होना है एवं जारी किए जाने की तारीख भी गलत अंकित की गई तथा अशोक को लड़का बताकर तामील करवाई गई है अर्थात विधिक प्रक्रिया अपनाकर तामील नहीं करवाई गई है, क्योंकि उसके अशोक नाम का लड़का है ही नहीं। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने मृतक के खिलाफ अपना निर्णय पारित किया है, क्योंकि मृतक प्रतिवादी के वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिया गया। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियां विरचित नहीं की। गोदनामा समाज के रीति

रिवाजों के अनुसार हुआ था। पंजीकृत गोदनामा आवश्यक नहीं है तथा विचारण न्यायालय ने चमेली की पुत्रवधु को भी प्रथम श्रेणी का वारिस मानने में त्रुटि की जबकि वह प्रथम श्रेणी की वारिस नहीं थी। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने उसे सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना अपना निर्णय व डिक्री प्रदान किया, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में किसी भी प्रकार की त्रुटिकारित नहीं की। उनका यह भी तर्क था कि पंजीकृत विक्रय पत्र को नल एण्ड वाईड घोषित करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी लटूर के हक में जो दाखिल खारिज हुआ, उस समय दोनों बहिने पंचायत के समक्ष उपस्थित थी, जिन्होंने लिखकर दिया था कि हमारे हिस्से को भाई लटूर के नाम दर्ज कर दिया जावें अर्थात उन्होंने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। दत्तक पुत्र होने पर उत्तराधिकार में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है, जो रकबा लटूर के द्वारा विक्रय किया गया है, वह 1/3 हिस्सा से कम है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उनके हितों के विपरीत निर्णय व डिक्री प्रदान की, ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण उन्हें सुनकर निर्णय प्रदान करने हेतु रिमाण्ड करने में किसी प्रकार की त्रुटिकारित नहीं की। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की ओर से कोई गोदनामा पेश नहीं किया गया है व ना ही नामान्तरकरण से यह तथ्य उजागर होता है कि कोई गोदनामा प्रतिवादी के पास मौजूद हो तथा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय ग्राम पंचायत या पटवारी को दिखलाया गया हो। पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि प्रतिवादी सं0 1 कभी मृतक रामचंद के बहैसियत दत्तक पुत्र रहा हो, क्योंकि उसके द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें कोई तारीख सन व संवत् अंकित नहीं किया गया है तथा उसे कब गोद लिया गया व उस समय उसकी उम्र क्या था एवं वह प्राकृतिक पिता का परिवार त्याग कर दत्तक पिता के परिवार में कब से रहने लगा। उक्त समस्त तथ्यों को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नही करवाया गया है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं0 2 मनिया पर तामील हो चुकी थी परन्तु वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने एकतरफा डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। अगर उसके विरूद्ध एकतरफा डिक्री पारित की गई एवं उस पर उसे एतराज था तो उसे विचारण न्यायालय के समक्ष विधिक प्रावधानों के माध्यम से चुनौति देना चाहिए था। किन्तु उसने ऐसा नहीं किया, ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर तामील के प्रश्न को उठाने का अधिकार नहीं था एवं राजस्व अपील प्राधिकारी तामील की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष अंकित नहीं कर सकते थे किन्तु उन्होंने तामील की वैधता के संबंध में जाकर सुनवाई का अवसर देने को आधार बनाते हुए प्रथम अपील को स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूल की।

8– हमारी राय में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर उचित निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थी सं0 1 लटूर पुत्र भरई को रामचंद्र द्वारा कभी गोद लिया जाना सिद्ध नहीं माना तथा उसके नाम स्वीकृत नामान्तरकरण एवं उसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए इन्द्राजात व बयनामा दिनांक 12–05–97 को प्रभावशून्य मानने में किसी भी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है। किन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त व ठोस आधार के प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य के अनुरूप है। अतः हम द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

9– परिणाम स्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–03–2001 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2000 बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) (शिखर अग्रवाल)

सदस्य सदस्य